न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)
आपराधिक अपील संख्या	–	81/2025
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010008792025

बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह निवासी अनाकोट पुलिस थाना कामहान जिला गुरदासपुर (पंजाब)

– अपीलार्थी/अभियुक्त

वि रु द्ध

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक चूरू – प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 01.08.2025 जो सुश्री शिवानी R.J.S., अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा नम्बरी फौजदारी 59/2015 अनुवानी सरकार बनाम बलविन्द्र सिंह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

(1) श्री सुरेन्द्र बुड़ानिया, योग्य अधिवक्ता – अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से।

(2) श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– नि र्ण य –

दिनांक – 18 मार्च, 2026

(1) यह आपराधिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा नम्बरी फौजदारी 59/2015 अनुवानी सरकार बनाम बलविन्द्र सिंह में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 01.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को धारा 14/57 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया गया तथा धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में 3 साल का साधारण कारावास व 20000/– रुपये अर्थदण्ड (अदम अदायगी पर दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

(2) प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 30.11.2014 को प्रताप सिंह प्रहराधिकारी, आबकारी निरोधक दल चूरू को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर राम मंदिर तिराहे के पास एन.एच.–65 चूरू–राजगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी कर ट्रक संख्या HR–46–C–5878 को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 1054 कार्टूनों में भरी विभिन्न ब्राण्ड की भारी मात्रा में शराब व बीयर "For Sale in Haryana Only" अंकित बरामद की गई। उक्त शराब को फर्द जब्ती के माध्यम से कब्जे में लेकर अभियुक्त बलविन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 14, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 14 एवं 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप तय किये गये, जिन्हें अभियुक्त ने अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। अभियोजन पक्ष द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में

पी.डब्ल्यू.1 से पी.डब्ल्यू.6 तक गवाहों के कथन लेखबद्ध कराए गए तथा दस्तावेज प्रदर्श पी –1 से प्रदर्श पी–26 तक एवं वस्तु साक्ष्य आर्टिकल 1 से आर्टिकल 9 तक प्रदर्शित कराए गए। तत्पश्चात अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। इसके उपरान्त उभय पक्षों की अंतिम बहस सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2025 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को धारा 14 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त करते हुए धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया गया। उक्त दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध ही अभियुक्त द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

(3) बहस अपील उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(4) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को तथ्य एवं विधि के प्रतिकूल बताते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध नहीं कर पाया कि अपीलार्थी बलविन्द्र सिंह का बरामद शराब अथवा वाहन से कोई प्रत्यक्ष संबंध था, क्योंकि न तो उसके पास से कोई दस्तावेज बरामद किया गया और न ही यह प्रमाणित किया गया कि वह वास्तव में वाहन का चालक था। अभियोजन साक्षियों के बयानों में मुखबिर सूचना का समय, नाकाबंदी का समय, घटनास्थल तथा बरामदगी की कार्यवाही के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। मुमेन्ट रजिस्टर के अनुसार नाकाबंदी में गये कई मुलाजिमों को गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाही में किसी स्वतंत्र गवाह को भी शामिल नहीं किया गया, जबकि घटना स्थल सार्वजनिक मार्ग पर स्थित था। बरामदगी की कार्यवाही में सभी कार्टूनों से नमूने नहीं लिये गये तथा जप्ती फर्द भी विधिवत नहीं बनाई गई। गवाहों के बयानों में यह भी विरोधाभास है कि शराब को मौके से थाने तक किस प्रकार लाया गया तथा अभियुक्त को थाने कब लाया गया। इस प्रकार अभियोजन की सम्पूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद होना बताते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

(5) इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह निवेदन किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत व पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील को खारिज किया जावे।

(6) पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि दिनांक 30.11.2014 को आबकारी निरोधक दल चूरू को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर राम मंदिर तिराहे के पास एन.एच.–65 चूरू–राजगढ़ मार्ग पर नाकाबंदी की गई तथा ट्रक नंबर HR–46–C–5878 को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में से 1054 कार्टूनों में भरी विभिन्न ब्राण्ड की भारी मात्रा में शराब एवं बीयर "For Sale in Haryana Only" अंकित बरामद हुई। प्रकरण में जब्ती अधिकारी पी.डब्ल्यू.–5 प्रताप सिंह ने अपनी साक्ष्य में उक्त

बरामदगी की संपूर्ण कार्यवाही का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है तथा बताया है कि मुखबिर सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई, ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई और उसमें से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रक चालक के रूप में अभियुक्त बलविन्द्र सिंह मौके पर मौजूद था और उसके पास इतनी मात्रा में शराब के परिवहन का कोई लाइसेंस अथवा परमिट नहीं था।

(7) जब्ती अधिकारी की साक्ष्य का समर्थन पी.डब्ल्यू.–1 विमलेश कुमार, पी.डब्ल्यू.–2 महेन्द्र सिंह तथा पी.डब्ल्यू.–4 सुभाषचन्द्र द्वारा किया गया है, जिन्होंने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में बरामदगी व जब्ती की कार्यवाही के संबंध में लगभग समान कथन किए हैं। इन गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रक को रोककर तलाशी ली गई तथा उसमें से 1054 कार्टूनों में भरी विभिन्न ब्राण्ड की शराब बरामद हुई। इन गवाहों की जिरह में यह अवश्य स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक कार्टून या प्रत्येक बोतल से नमूना नहीं लिया गया, परन्तु यह तथ्य स्वयं अभियोजन साक्ष्य में भी स्पष्ट है कि प्रत्येक ब्राण्ड से प्रतिनिधि नमूना लिया गया था। इस प्रकार जिरह से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे बरामदगी की घटना असत्य या संदेहास्पद प्रतीत हो। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि बरामदशुदा शराब के प्रत्येक ब्राण्ड से नमूने लेकर उन्हें मौके पर सील मोहर किया गया तथा बाद में उक्त नमूने मालखाना में जमा कर विधिवत् प्रयोगशाला में भेजे गए। पी.डब्ल्यू.–3 भगवती प्रसाद ने अपने कथन में बताया है कि उसने मालखाना से नौ सीलबंद नमूने प्राप्त कर उन्हें उसी स्थिति में आबकारी प्रयोगशाला में जमा कराया। एफएसएल रिपोर्ट से भी यह तथ्य प्रमाणित होता है कि नमूने सीलबंद अवस्था में प्राप्त हुए तथा उनमें एथिल अल्कोहल पाया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बरामद पदार्थ वास्तव में शराब ही था और नमूनों की अभिरक्षा की श्रृंखला (chain of custody) भी सुरक्षित रही।

(8) अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि बरामदगी के स्वतंत्र गवाह नहीं हैं तथा सभी गवाह पुलिस कर्मचारी हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि स्वतंत्र गवाहों का होना आदर्श स्थिति मानी जाती है, तथापि केवल इस आधार पर कि गवाह पुलिस कर्मचारी हैं, उनकी साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस गवाहों की साक्ष्य विश्वसनीय एवं परस्पर संगत हो तथा अभिलेखीय साक्ष्य से समर्थित हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन गवाहों के कथनों में कोई ऐसा गंभीर विरोधाभास नहीं है जो बरामदगी की कार्यवाही को संदेहास्पद बनाता हो। जो विरोधाभास जिरह में सामने आए हैं वे सामान्य प्रकृति के हैं तथा घटना के मूल तत्वों को प्रभावित नहीं करते। यह तर्क भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया कि प्रत्येक बोतल अथवा प्रत्येक कार्टून से नमूना नहीं लिया गया। परन्तु विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक ब्राण्ड से प्रतिनिधि नमूना लेना पर्याप्त होता है और प्रत्येक बोतल से नमूना लेना आवश्यक नहीं है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कुल 9 प्रकार की ब्राण्ड की शराब बरामद हुई थी तथा प्रत्येक ब्राण्ड से नमूना लेकर उसे सील मोहर किया गया था। अतः इस आधार पर भी बरामदगी की कार्यवाही को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

(9) अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अभियुक्त बलविन्द्र सिंह उक्त ट्रक में मौजूद था तथा उसके पास इतनी मात्रा में शराब के परिवहन का कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अभियोजन की साक्ष्य का खण्डन हो सके। इस प्रकार उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त के सचेतन कब्जे से बिना लाइसेंस व परमिट के भारी मात्रा में शराब का परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का यथोचित एवं न्यायसंगत विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निष्कर्ष निकाला गया है। इस न्यायालय को ऐसा कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

(10) परिणामतः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त बलविन्द्र सिंह को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप है। विचारण न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन उचित एवं न्यायसंगत है तथा उसमें किसी प्रकार की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

(11) जहाँ तक अभियुक्त को दी गई सजा का प्रश्न है, अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि घटना वर्ष 2014 की है तथा विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय वर्ष 2025 में पारित किया गया है। इस प्रकार घटना को घटित हुए लगभग 11 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। इस दीर्घ अवधि के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य आपराधिक गतिविधि या दोषसिद्धि का कोई अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है तथा यह भी परिलक्षित होता है कि अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहा है और उसने न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध ऐसे नहीं हैं जिनमें मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास का प्रावधान हो। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त के व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त को कारावास की सजा भुगतना आवश्यक है या उसे परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाना अधिक न्यायोचित होगा।

(12) परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य ऐसे अभियुक्तों को सुधार का अवसर प्रदान करना है जिनके संबंध में यह प्रतीत होता है कि वे समाज के लिए घातक प्रवृत्ति के नहीं हैं तथा जिन्हें कारावास में भेजने के स्थान पर समाज में रहते हुए सुधार का अवसर दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह एक साधारण व्यक्ति प्रतीत होता है। साथ ही घटना को घटित हुए भी दीर्घ अवधि व्यतीत हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त को पुनः कारावास में भेजना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रतीत नहीं होता। अतः इस न्यायालय का यह मत है कि अभियुक्त को कारावास से दण्डित करने के स्थान पर उसे परिवीक्षा अधिनियम की

धारा 4 का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। परिणामतः अभियुक्त को सदाचार बनाए रखने की शर्त पर परिवीक्षा पर छोड़ा जाना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है।

– आ दे श –

(13) लिहाजा अपीलार्थी/अभियुक्त बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबक्स सिंह निवासी अनाकोट पुलिस थाना कामहान जिला गुरदासपुर (पंजाब) की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2025 द्वारा अभियुक्त बलविन्द्र सिंह को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाना यथावत रखा जाता है किन्तु अभियुक्त को दी गई कारावास की सजा अपास्त की जाकर उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत लाभ प्रदान करते हुए यह आदेशित किया जाता है कि वह एक वर्ष की अवधि तक सदाचार बनाए रखने हेतु 25000/– रुपये के निजी मुचलके एवं समान राशि के एक जमानती के साथ बंधपत्र प्रस्तुत करेगा तथा इस अवधि में शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा।

(14) इसके अतिरिक्त अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत 2,000/– रुपये की राशि राज्य को प्रतिकर स्वरूप एक माह के भीतर विचारण न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया जाता है। उक्त राशि नियत अवधि में जमा नहीं करने की स्थिति में विधि अनुसार वसूली की जाएगी।

(15) चूंकि अभियुक्त को 4 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया गया है। अतः धारा 12 परिवीक्षा अधिनियम के अनुसार अभियुक्त को उक्त दोषसिद्धि के कारण किसी भी प्रकार की वैधानिक अपात्रता प्रभावशील नहीं होगी।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

(16) निर्णय व आदेश दिनांक 18 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)